न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 114-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 10/2014-15/अपील.

हवेलीराम मल्होत्रा पुत्र लाल चंद,
निवासी- ए-1, हरी ओम कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन .....असल अनावेदक
2. छोटे सिंह पुत्र नवलसिंह
   पिता स्वयं नवलसिंह पुत्र मोहनसिंह जाट
   निवासी-ग्राम सुनारपुरा खालसा,
   तहसील व जिला ग्वालियर .....तरतीवी अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत्त सिरसौद तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2012 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/12-13/अपील दर्ज कर दिनांक 29.05.2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2015 को आदेश पारित कर पक्षकारों के असंयोजन का दोष पाते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में प्रकरण को स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 2 से क्रय किया जाकर दस्तावेज निष्पादित कराये गये, जिस पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है, किन्तु आवेदक का नामांतरण स्वीकृत नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अवधि बाह्य मानने में तथ्यात्मक भूल की है, जबकि अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश की संसूचना आवेदक को नहीं दी गई है। इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील समय बाह्य मानने में अवैधानिकता की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि विक्रेता अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और उनके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में असंयोजन का दोष मानने में अपर आयुक्त ने भूल की है। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में असंयोजन के दोष के संबंध में आवेदक को सुनवाई का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यदि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्राप्त होता, तब वह उक्त स्थिति को स्पष्ट कर सकता था। तर्क में यह भी कहा गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस आधार पर कहा गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण से कानूनन इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के अभिनिर्धारणों पर कोई विचार नहीं किया गया। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने हिन्दू मायनॉर्टी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 उपधारा 3 के अनुसार विक्रय पत्र को अवैध नहीं माना जा सकता है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के विक्रेता को वर्तमान निगरानी में तरतीवी पक्षकार बनाया जा रहा है। यद्यपि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण के संबंध में सहमति दी गई है फिर भी किसी प्रकार का तकनीकी दोष न हो, इस दृष्टि से उसे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस इस निगरानी में नहीं है।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 2 नाबालिग के पिता द्वारा उसकी भूमि का बिना अनुमति के विक्रय किया गया है, अतः अपर तहसीलदार द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नाबालिग की भूमि का विक्रय किये जाने के कारण आवेदक का नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त किया है । अपर तहसीलदार के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत होने से स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा तर्क अमान्य किये जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.11.2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर